

**राजस्थान सरकार**  
**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांक : राम/स्टोर/प.1/61/2008-29/55

दिनांक 20/02/2025

**:: नीलामी आमंत्रण की सूचना ::**

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर कार्यालय में स्थापित कागज की रद्दी जैसे पुराने रिकॉर्ड की वीडेड रद्दी, अखबार एवं पुरानी मैगज़ीन (हिन्दी एवं अंग्रेजी) की रद्दी, अनुपयोगी/अप्रचलित/अवधिपार पत्रावलियों की नीलामी दिनांक : 17.03.2025 (सोमवार) को प्रातः 11:00 बजे की जानी है। रद्दी का अनुमानित भार/वजन 11781 किलो तक एवं पुस्तक मूल्य राशि रूपयें 5,00,000/- है। बोली लगाने वाले (बिडर्स) को प्रतिभूति राशि रूपयें 20,000/- कार्यालय में दिनांक 17.03.2025 नीलामी आरंभ होने से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। नीलामी से संबंधित शर्तें मण्डल की वेबसाइट [www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor](http://www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor) पर देखी जा सकती हैं।

रद्दी नीलामी की प्रकिया सामान्य वित्त एवं लेखा नियम के तहत की जा रही है।

**आदेशानुसार**

**उप-निबंधक (स्टोर)**

**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

क्रमांक : सम/56-63

दिनांक 20/02/2025

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

- संयुक्त निदेशक (कंप्यूटर) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रति प्रेषित कर निवेदन हैं कि उक्त नीलामी आमंत्रण की सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र के अजमेर संस्करण में आज दिनांक को ही प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
- कैशियर, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, अजमेर।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, अजमेर।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, अजमेर।
- कुटीर उद्योग, अजमेर जिला, अजमेर।

**Signature valid**



उप-निबंधक (स्टोर)  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर  
Digitally signed by **Omprakash Kumar**  
Tripathi  
Designation : **Registrar**  
Date: 2025.02.20 17:37:12 IST  
Reason: Approved

**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**  
**नीलामी से संबंधित शर्तें**

1. बोली लगाने वाले (बिडर्स) को प्रतिभूति राशि रूपयें 20,000/- कार्यालय में दिनांक 17.03.2025 नीलामी आरंभ होने से पूर्व जमा करवाना आवश्यक है। प्रतिभूति राशि नगद रूप में रोकडिया, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को जमा करवाई जा सकती हैं।
2. सफल बोलीदाता को कागज की रद्दी की नीलामी में प्राप्त होने वाली राशि का 50 प्रतिशत नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् जमा करवानी होगी, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। शेष 50 प्रतिशत राशि नीलामी समाप्ति की दिनांक से दो दिवस में जमा करवाना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रतिभूति राशि एवं पूर्व में जमा करवाई गई 50 प्रतिशत नीलामी राशि दोनों जब्त कर ली जाएगी।
3. सफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि, शेष 50 प्रतिशत जमा करवाई जाने राशि में समायोजित कर दी जावेगी।
4. बोलीदाता को नीलामी के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक अकाउंट विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. असफल बोलीदाता की प्रतिभूति राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
6. सफल बोलीदाता को मण्डल के कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 05 दिवस में कागज की रद्दी उठानी होगी, अन्यथा प्रतिदिन राशि रूपयें 1000/- की शास्ति आरोपित की जाएगी।
7. इच्छुक बोलीदाता दिनांक 16.03.2024 से पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर कागज की रद्दी का निरीक्षण कर सकते हैं।
8. नीलामी राशि पर नियमानुसार जीएसटी अतिरिक्त देना अनिवार्य होगा।

**उप-निबंधक (स्टोर)**  
**राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**Signature valid**

Digitally signed by **Omkan Kumar Triphati**  
Designation: **Deputy Registrar**  
Date: 2025.02.27 17:37:12 IST  
Reason: Approved